अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शनिवार, 29 जून 2019

यह संभव है कि हम सबके पास बराबर प्रतिभा न हो पर अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने का मौका सभी को बराबर मिलता है...
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत को खुद की स्थिति को मजबूती से पेश करने और वैश्विक समीकरण में संतुलन बनाने का अवसर भी मिला है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय तथा विभिन्न क्षेत्रीय गुटों के नेताओं से हुई मुलाकातों से स्पष्ट है।

ओसाका में अवसर

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिम, ईरान के परमाणु संकट और अमेरिका तथा चीन के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर चल रहे टकराव के बीच जापान के ओसाका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में एक बड़ी उत्सुकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर भी थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से व्यापारिक रिश्ते में खिंचाव आया है। दरअसल इस मुलाकात से ऐन पहले ट्रंप ने दबाव बनाते हुए कहा था कि भारत ने हाल ही में जो शुल्क बढ़ाया है, वह उन्हें अस्वीकार्य है और इसे वापस लेना ही होगा। यही नहीं, अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत को ईरान से तेल नहीं लेना चाहिए और चीनी कंपनी हुवावे की 5जी तकनीक को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। ध्यान रहे कुछ महीने पहले जब अमेरिका ने भारत से व्यापारिक वरीयता छीन ली थी, तब भारत ने जवाब में अमेरिका से आयात होने वाली 28 वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने व्यापारिक गतिरोध को दूर करने के लिए वाणिज्य मंत्रियों की बैठक शीघ्र बुलाने का जो फैसला किया है, उसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिर भूलना नहीं चाहिए कि इस मुलाकात में रूस से खरीदी जानी वाली एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली पर कोई बात नहीं हुई, जिसे लेकर अमेरिका पहले एतराज कर चुका है। वहीं भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि खाड़ी में वह अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। वास्तव में जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत को खुद की स्थिति को मजबूती से पेश करने और वैश्विक समीकरण में संतुलन बनाने का अवसर भी मिला है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय तथा विभिन्न क्षेत्रीय गुटों के नेताओं से हुई मुलाकातों से स्पष्ट है। मसलन, ब्रिक्स के नेताओं की बैठक के बाद भारत की चिंता से साझा करते हुए संयुक्त बयान में इस संगठन के सदस्य देशों के साथ ही जहां कहीं भी आतंकी हमले हुए हैं उनकी तीखे शब्दों में निंदा की गई है और आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके अलावा रूस-भारत-चीन (आरआईसी) तथा जापान-अमेरिका-भारत (जेएआई यानी जय) की बैठकों ने भारत के बढ़ते महत्व को ही रेखांकित किया है।

आरक्षण की बैसाखी और न्यू इंडिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघीय व्यवस्था में केंद्र को इंजन और राज्यों को डिब्बा बताया है। तो फिर केंद्र में प्रशासनिक कुशलता और राज्यों में आरक्षण की बंदरबांट के विरोधाभास से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' कैसे बनेगा?

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

पिछली शताब्दी में मंडल आयोग की रिपोर्ट ने पूरे देश में आग लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विराम मिला। सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों की पीठ ने नवंबर, 1992 में कहा था कि सामाजिक न्याय जरूरी होने के बावजूद प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। 27 साल बाद अब राज्य में चुनावों के पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट के दो जजों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नई व्याख्या करते हुए मराठा आरक्षण को वैध ठहरा कर आरक्षण के जिन्न को फिर से जगा दिया है। गायकवाड़ आयोग ने शिक्षण संस्थाओं में 12 फीसदी और सरकारी नौकरियों में 13 फीसदी आरक्षण की अनुशंसा की थी, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाकर 16 फीसदी कर दिया था। हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को बदलते हुए आयोग की अनुशंसा को बहाल कर दिया। महाराष्ट्र में मराठों को 72,000 नई सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र जारी होने हैं, लेकिन तीन फीसदी की कमी होने से नए विवाद पैदा हो सकते हैं।

मंडल आयोग और परवर्ती आयोगों ने मराठों को पिछड़ा मानने से इनकार कर दिया था। इंदिरा साहनी मामले के फैसले के बाद केंद्र और सभी राज्यों को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना था। महाराष्ट्र सरकार ने तेरह साल बाद वर्ष 2006 में इस पर अमल किया, पर मराठों को आरक्षण का लाभ देने के लिए बनाए कानून को नवंबर, 2018 में आनन-फानन में मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर इस कानून को लागू करने पर सांविधानिक विवाद है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला होगा। महाराष्ट्र में 2001 के कानून से 52 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने भी आर्थिक तौर पर पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाकर 50 फीसदी के नियम का उल्लंघन किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देने के लिए बहुत पहले से कानून है। खबरों के अनुसार, तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में अधिक आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पिछले 25 वर्षों से लंबित है। आरक्षण और प्रोन्नति से संबंधित अनेक अन्य मामले भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, तो फिर इस पर जल्द फैसला कैसे होगा?

महाराष्ट्र में 32 फीसदी आबादी मराठों की है, जिन्हें सरकार द्वारा 16 फीसदी आरक्षण से लुभाने की कोशिश की गई। गायकवाड़ आयोग ने इस बारे में पांच संगठनों को सर्वेक्षण हेतु नियुक्त किया, जिनमें कई सदस्य मराठा आरक्षण के पक्षधर थे। इसे हितों का विरोधाभास माना जाए, तो सर्वेक्षण पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। समिति ने लगभग 46,629 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिनमें से 29,813 मराठा परिवार थे। पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए 25 अंकों का मापदंड बनाया गया, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक फैक्टर शामिल थे। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मराठों को 12.5 यानी आधे अंक मिले, फिर भी उन्हें पिछड़ा मान लिया गया। पिछड़ेपन के इस पैमाने पर मराठों की तर्ज पर अन्य जातियों में भी पिछड़ेपन की होड़ लग सकती है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र में ब्राह्मण महासभा ने कर दी है। महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर जाट और गुज्जरों द्वारा ऐसे आरक्षण की मांग परवान चढ़ेगी।

अंग्रेजों ने भारत को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित किया। ब्रिटिश भारत में काउंसिल के चुनावों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन सूची बनाने की शुरुआत हुई, जिसका अंत पाकिस्तान के विभाजन के तौर पर हुआ। ब्रिटिश भारत में 1931 में पिछड़े वर्ग की आबादी का सर्वेक्षण हुआ, जिसे मंडल आयोग ने 50 साल बाद बेतुकी मान्यता दे दी गई। आजाद भारत में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एनआरसी की व्यवस्था पर विवाद हो रहा है और अब आरक्षण के आंकड़ों पर भी विवाद होगा। वर्ष 2011 में भारत में सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर जातिगत जनगणना हुई थी, जिसके संपूर्ण आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष संविधान संशोधन करके पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधानिक मान्यता दे दी और 2021 में पिछड़े वर्ग की जनगणना कराने का भी निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में गायकवाड़ आयोग ने 85 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर मराठों के पिछड़ेपन के लिए मनगढ़ंत मापदंड बना दिए, जिन्हें 2021 के बाद चुनौती मिल सकती है। 2021 की जनगणना के बाद पिछड़े वर्ग में शामिल होने और बाहर निकलने के लिए विवादों की अनंत श्रृंखला शुरू हो सकती है।

मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में नौकरशाही को चुस्त बनाने के लिए 27 आईआरएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर सराहनीय कदम उठाया है। निजी क्षेत्र से प्रतिभाओं को आमंत्रित करके सरकार में वरिष्ठ पदों पर सीधे नियुक्ति का नया चलन भी शुरू हुआ है। इन नियुक्तियों में आरक्षण नहीं होने से अनेक कानूनी विवाद हो रहे हैं। पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने 'मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' का नारा दिया था। डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में सरकारी नौकरियों में अवसर कम हो रहे हैं, तो फिर आरक्षण की सियासत में बेरोजगार युवाओं को कैसे लाभ मिलेगा? आरक्षण के विस्तार के साथ क्रीमीलेयर की व्यवस्था को लागू नहीं करने से अराजकता बढ़ रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बाद निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग स्वाभाविक है। इंदिरा साहनी मामले में प्रशासनिक कार्यकुशलता और सामाजिक न्याय में संतुलन बिठाया गया था, जिसे राजनेताओं द्वारा चुनावी लाभ के लिए ध्वस्त किया जा रहा है।

संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अल्पकालिक अवधि के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। संविधान में समानता, भाईचारा और न्याय का संपूर्ण आधार है, जिसमें आरक्षण एक अपवाद था। राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण के अपवाद को शासन की मुख्यधारा बनाने से भारतीय समाज और विघटित होगा, जो गणतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने संघीय व्यवस्था में केंद्र को इंजन और राज्यों को डिब्बा बताया है। तो फिर केंद्र में प्रशासनिक कुशलता और राज्यों में आरक्षण की बंदरबांट के विरोधाभास से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' कैसे बनेगा?

आदिवासी क्षेत्रों से निकलेंगे खेल जगत के कई सितारे

अपनी कहानी

>> सुमित्रा नायक

मां के साथ बिताए शुरुआती वर्षों ने सिखाया कि हिम्मत के साथ खराब परिस्थितियों से कैसे सामना किया जाता है। मुझे अब परिस्थितियों से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी मां की तरह, मेरे पास मजबूत दिल है।

***मेरा** जन्म ओडिशा के जाजपुर जिले में एक निर्धन आदिवासी परिवार में हुआ। मेरे पिता ने मेरी मां को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। मेरी मां ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, पर वह साहसी थी। गरीबी से तंग आकर वह भुवनेश्वर आ गई और लोगों के घरों में काम करने लगी। हालांकि वह मुझे और मेरे भाई-बहनों को पढ़ाना चाहती थी। मेरी मां जिस घर में काम कर रही थी, उसके मालिक ने उन्हें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बारे में बताते हुए कहा कि वहां पढ़ने-लिखने के साथ खाने-पीने, खेलकूद की सुविधा मुफ्त में मिलती है। इसके बाद मेरी मां ने मुझे वहां भेज दिया।*

मां का मिला प्रोत्साहन

कलिंगा इंस्टीट्यूट से जुड़ने के बाद रग्बी पहली नजर का प्यार था। हलांकि बचपन में मुझे अन्य शारीरिक खेल पसंद थे, लेकिन गांव में नहीं खेल सकती थी, क्योंकि वहां लड़कियों को खेलने की आजादी नहीं दी जाती थी। किसी खेल में दिलचस्पी दिखाने पर कहा जाता था कि यह लड़कियों के लिए नहीं है। सौभाग्य से मुझे मां का समर्थन मिला, जिसने समाज की धारणाओं को तोड़ने और दिल के सपनों को पूरा करने के लिए कहा। शुरुआत में मैं डर गई, किसी ने कहा इस खेल में कुछ भी हो सकता है। पर मेरी मां ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, वे घेरने की कोशिश करेंगे, मुझे बस तेजी से दौड़ना सीखना चाहिए। मां के साथ बिताए शुरुआती वर्षों ने सिखाया कि हिम्मत के साथ खराब परिस्थितियों से कैसे सामना किया जाता है। मुझे अब परिस्थितियों से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी मां की तरह, मेरे पास मजबूत दिल है।

ऐसे हुई शुरुआत

रग्बी के प्रति मेरा अकर्षण बढ़ा तो मैंने खेलना शुरू कर दिया। अगले साल ही इंस्टीट्यूट की टीम ने लंदन में कम आयु वर्ग की विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसके बाद इस खेल में मैं महारत हासिल करने के लिए जी जान से जुट गई। फिलीपींस में सिंगापुर के खिलाफ मिली जीत से पहले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका से कोच आए। उस प्रशिक्षण सत्र से सभी खिलाड़ियों को काफी हुआ है। हमारी जीत का सबसे ज्यादा श्रेय कलिंगा इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉ. अच्युत सामंत को जाता है। उन्होंने न केवल हमें मुफ्त पढ़ने-लिखने का अवसर दिया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और बुनियादी सहूलियतें भी मुहैया करवाईं।

बेहद भावुक क्षण था

हमारे लिए सिंगापुर के खिलाफ स्कोर करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह तगड़ी टीम है और पिछली बार हमें बहुत बुरी तरह हरा चुकी थी। मैच खत्म होने में बस दो मिनट बाकी थे, जब मैंने तय किया की एक पेनल्टी ली जाए। तब मेरे मन में विश्वास था, लेकिन कुछ डर भी। मैंने पेनल्टी ली और स्कोर किया। लेकिन अभी भी दो मिनट बचे थे और सिंगापुर की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब हूटर बजा और हम जीत गए, उस समय की अनुभूति मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि करीब 27 हजार आदिवासी बच्चों के बीच में से खेलकूद की दुनिया में कई और सितारे उभरने वाले हैं। मेरा मानना है कि इस दुनिया का हर बच्चा बड़ा होकर एक बदलाव लाने वाला होता है, जिसका उद्देश्य लगातार आसपास की समस्याओं को हल करना है। इससे दुनिया बदल जाएगी।

-रग्बी टीम की खिलाड़ी के विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

फैक्ट फाइल

अनुच्छेद 15

>> प्रतीकात्मक तस्वीर

संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है।

सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित व आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म *आर्टिकल 15* रिलीज हो गई है। रिलीज होने से पहले ही फिल्म को लेकर सोशल मीडिया में विवादों का दौर शुरू हो गया, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 15 पर चर्चाएं भी जोरों पर हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकार (भाग तीन) में मौजूद अनुच्छेद 15 भारत के समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसी में (2) बताया गया है कि कोई नागरिक (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या (ख) राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, या शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 15 (3) में संविधान सुरक्षा के लिहाज से भेदभाव की गुंजाइश छोड़ता है जिसमें उल्लेख है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद (15) या अनुच्छेद (29) के खंड दो की कोई भी बात राज्य को सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को यह विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

शिक्षा के प्रति दीवानगी

अफगानिस्तान के एक स्कूल में लड़कों से ज्यादा लड़कियां शिक्षा के प्रति गंभीर हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए रॉड नोर्डलैंड

सुबह सात बजे के करीब लड़कियां दिखाई देने लगीं। दूर से देखने पर वे बंजर पहाड़ के किनारे पतली नीली रेखा सी दिखाई दे रही थीं। विभिन्न दिशाओं से गंदी और संकरी पगडंडियों से होकर वे घाटी में स्थित एक छोटे से स्कूल आ रही थीं। लगभग सात से 18 वर्ष की नीली यूनिफार्म और सिर पर सफेद स्कार्फ बांधे ये लड़कियां एक घंटे या उससे ज्यादा पैदल चलकर समय पर स्कूल पहुंचती हैं। कुछ लड़कों के भी समूह हैं, जो लड़कियों से अलग चल रहे हैं। 7.45 बजे तक वे सभी रुस्तम स्कूल के यार्ड में असेंबली के लिए इकट्ठा हुए, जो अफगानिस्तान के सुदूर इलाके में यकवलांग जिले में है। यह इस इलाके का एकमात्र हाई स्कूल है, जहां पहली से लेकर बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। यहां 330 लड़कियां और 146 लड़के पढ़ते हैं। यह उस देश के लिए आश्चर्यजनक है, जहां मात्र एक तिहाई लड़कियां ही स्कूल जाती हैं।

स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सादिक नासिरी कहते हैं, विश्वविद्यालय में दाखिला पाना पहले की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा कठिन है, इसलिए वे पहले से ज्यादा अच्छा करने जा रहे हैं। कॉलेज जाने के सपनों को

प्रोत्साहित करने के लिहाज से रुस्तम स्कूल एक असंभव जगह लग सकती है। सात कक्षाओं और छह बड़े तंबुओं में पढ़ाई कराने वाले इस स्कूल में इतने छात्र हैं कि चार-चार घंटे के सुबह और दोपहर के दो सत्रों में पढ़ाई होती है। यहां न बिजली है, न कक्षा गर्म करने की व्यवस्था है और न ही काम करने लायक कंप्यूटर और फोटो कॉपी मशीन है। ज्यादातर शिक्षण सामग्री शिक्षक स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं। एक बार विदेशी सहायता मिली थी, लेकिन वह फिर बंद हो गई। एक शिक्षिका ने बताया कि उनके पास छात्रों की तुलना में किताबें कम हैं।

नासिरी कहते हैं कि मात्र पांच फीसदी छात्रों के माता-पिता ही लिख-पढ़ सकते हैं। स्कूल में ज्यादातर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। फिर भी इस स्कूल के 65 में से 60 छात्रों को 2017 में अफगानिस्तान के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में दाखिला मिला है, यानी कॉलेज में दाखिले की दर 92 फीसदी है। उनमें दो तिहाई लड़कियां हैं। कुछ वर्ष पहले 97 फीसदी छात्रों का कॉलेज में दाखिला हुआ था। ज्यादातर अफगानी स्कूलों के विपरीत रुस्तम स्कूल में लड़कियां और लड़के साथ-साथ पढ़ते हैं।

स्कूल के ज्यादातर छात्रों का पसंदीदा विषय गणित है। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 40 फीसदी सवाल गणित से पूछे जाते हैं, जो किसी अन्य विषय से ज्यादा है। और लड़कियां इसमें आगे हैं। कंप्यूटर की पढ़ाई अभी किताबों से ही होती है। ग्यारहवीं कक्षा के साठ छात्रों में से सिर्फ एक छात्र के घर पर कंप्यूटर है। फिर भी लड़कियां किताबों से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रही हैं।

तालिबान शासन के दौरान लकड़ियों की पढ़ाई पर पाबंदी थी और खासकर बामियान प्रांत के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं घरों में कैद हो गई थीं। शिक्षिका बताती हैं कि स्थानीय लोगों, खासकर लड़कियों में शिक्षा के प्रति दीवानगी उसी दौर की प्रतिक्रिया में है। रुस्तम स्कूल के आसपास का इलाका तालिबान से मुक्त है और हिंसा का नामोनिशान नहीं है।

इस हफ्ते के शब्द

सामंत गोयल

पंजाब कैडर के आईपीएस सामंत गोयल को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च ऐंड एनालिसिस विंग (रॉ) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।

थंप (THUMP)

विश्वकप में अफगानिस्तान पर भारत की जीत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करने पर बीसीसीआई की काफी आलोचना हुई। इस शब्द का अर्थ होता है-प्रहार।

काले धन का पहाड़

34 लाख करोड़

रुपये का काला धन जमा कर रखा है भारतीयों ने विदेशों में, लोकसभा में पेश फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक।

सूत्र

>> राडिया पर्लमैन

आत्मविश्वास भी दिलाता है सफलता

मैं एक नेटवर्क इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूं। मैं न्यू जर्सी के पास एसब्युरी पार्क में पैदा हुई। मेरे माता-पिता, दोनों ही इंजीनियर थे। मेरे पिता ने रडार से संबंधित कुछ काम किया था। जबकि मेरी गणितज्ञ मां ने कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम किया। चाहे इसे मेरा आनुवांशिक गुण कहें या कुछ और, गणित और विज्ञान मेरे लिए सबसे आसान और दिलचस्प विषयों में से थे। घर पर मेरी मां गणित के होमवर्क में मेरी मदद करती थी। लेकिन गणित और विज्ञान से बाहर मैं साहित्य और संगीत में रस ले पाई, तो इसका श्रेय मेरी मां को जाता है। हाई स्कूल में रहते हुए ही मैंने कंप्यूटर साइंस में करियर बनाने का फैसला कर लिया था। एमआईटी में अंडरग्रेजुएट क्लासों में मैंने प्रोग्रामिंग के बारे में समझा। गणित से बीएस और एमएस करने के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में पीएच.डी की। वर्ष 1985 में मैं डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन में काम कर रही थी, जहां कंप्यूटरों में फाइल शेयरिंग की समस्या के समाधान निकालने पर काम चल रहा था। मैंने एसटीपी (स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल) के रूप में इसका समाधान निकाला। इंटरनेट से जुड़े सौ से अधिक पेटेंट मेरे नाम हैं। शायद इसीलिए लोग मुझे 'मदर ऑफ इंटरनेट' कहकर भी संबोधित करते हैं। हालांकि मुझे अपने लिए यह संबोधन पसंद नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। अध्ययन और शोध के दौरान मैंने पाया कि कंप्यूटर साइंस में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। उस दौरान कई प्रोफेसरों ने मुझे कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम करने से हतोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पर डटी रही। बीती सदी के साठ के दशक में मैं जब एमआईटी में पढ़ती थी, तो करीब एक हजार छात्रों की कक्षा में मुश्किल से पचास लड़कियां होती थीं। उस दौर में कई-कई दिनों तक मुझे क्लास में एक भी लड़की के दर्शन नहीं होते थे। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, जिसमें महिलाओं की प्रभावी मौजूदगी न हो। जिस विषय में हमारी रुचि हो, उसमें लगन के साथ काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। इसके अलावा आत्मविश्वास ज्यादा जरूरी है। एमआईटी में मेरे एक सीनियर ने मुझसे प्रोग्रामर के पार्ट टाइम जॉब की पेशकश की, तो मैं इस बारे में बहुत नहीं जानती थी। पर मेरा सीनियर मेरे प्रति आश्वस्त था। इसलिए मेरा मानना है कि जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है।

जिस क्षेत्र में हमारी रुचि हो, उस क्षेत्र में लगन के साथ काम करना आवश्यक है।